

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/274

दिनांक : 05/08/2017

—: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प02/2017/245 दिनांक 12.07.17 के द्वारा आरयूएचएच वर्ष-2017 से चयनित नवनियुक्त चिकित्सकों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 12.08.17 तक कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि प्रदान की जाती है तथा अभिवृद्धि दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश में अंकित शर्तानुसार स्वतः ही सेवायें समाप्त समझी जावेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/274

दिनांक : 05/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आरयूएचएस वर्ष-2017 से चयनित नवनियुक्त चिकित्सकों की कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित चिकित्सकों को पालनार्थ।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबन्धित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।